प0सं0–14 / डी0एल0ए0 (विद्युत उपकेन्द्र–पहुँच पथ)–मधेपुरा–77 / 2013–1174 / रा0,पटना–15 दिनांक–26 / 4 / 2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू–अर्जन निदेशालय) बिहार,पटना।

अधिसूचना

पत्रांक.. / रा0,दिनांक.....................................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–कुमारखण्ड, चादर नं0 06, थाना नं0–240 थाना– कुमारखण्ड अंचल– कुमारखण्ड जिला–मधेपुरा में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, कुमारखण्ड के पहुँच पथ के निर्माण** हेतु अधियाची विभाग के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए **मौजा–कुमारखण्ड, चादर नं0 06, थाना नं0–240 थाना–कुमारखण्ड अंचल–कुमारखण्ड जिला–मधेपुरा** में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश **0.115 एकड़** के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नप्रकार है–

मौजा–कुमारखण्ड, चादर नं0 06, थाना नं0–240

खेसरा संख्याँ– 7827 अंश एवं 7830 अंश।

प्रस्तावित भू–खण्ड की चौहद्दी

उत्तरः– खेसरा नं0– 7825 एवं 7826.

दक्षिणः– खेसरा नं0– 7827 अंश एवं 7830 अंश।

पूरबः– सड़क।

पश्चिमः– 7824.

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित 1984) की धारा 04 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध हों।

प्रस्तावित भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के प्रारंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे अधियाची विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्राधिकृत करती है कि भूमि पर प्रवेश कर उनका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 04 की उप धारा (2) में यथा उपबंधित तथ्य विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगें।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 04 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
मधेपुरा

अपर समाहर्त्ता
मधेपुरा

समाहर्त्ता
मधेपुरा

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

(P.T.O)

ज्ञा0सं0–14/डी0एल0ए0 (विद्युत उपकेन्द्र–पहुँच पथ)–मधेपुरा–77/2013–1174/रा0,पटना–15 दिनांक–26/4/2013

ज्ञापांक.../रा0,दिनांक...

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को अधिसूचना के तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना का प्रेस कतरण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,मधेपुरा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(2) प्रभारी पदाधिकारी,जिला गजट मधेपुरा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस–दस अतिरिक्त प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(3) आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) अधियाची पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/4/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।